भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 838
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पद

838. डॉ. सी. एम. रमेश :

क्या **बिधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिक्त पड़े छह स्थायी पदों और अतिरिक्त न्यायाधीशों के दो पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) सरकार द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के 74 रिक्त पदों को भरने के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि राज्य में 8.8 लाख से अधिक मामले लंबित हैं ; और

(ग) क्या सरकार राज्यों को एकमुश्त अनुदान प्रदान करने पर विचार कर रही है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में न्यायिक अधिकारियों के लगभग 5,250 पद रिक्त हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 37 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या के मुकाबले 33 न्यायाधीश (अन्य उच्च न्यायालयों में कार्यरत 05 न्यायाधीशों सहित) हैं ।आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अन्य उच्च न्यायालयों के 02 न्यायाधीश (मुख्य न्यायमूर्ति सहित) कार्य कर रहे हैं ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का है ।संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम विरचित करती है । जनवरी, 2007 में, मलिक मजहर सुल्तान मामले में पारित आदेश द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ, कतिपय समय-सीमाएं निर्धारित की हैं, जिनका जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा अनुसरण किया जाना है ।

न्यायालयों में मामलों के निपटान को प्रभावित करने में न्यायाधीशों की रिक्ति एकमात्र कारण नहीं है ।न्यायालयों में मामलों का निपटान कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात बार, अनुसंधान एजेंसियों, साक्षियों और वादियों का सहयोग तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है ।मामलों के निपटान में विलंब के अन्य कारकों में, विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा विहित समय-सीमा की कमी, बारंबार स्थगन और

सुनवाई के लिए मामलों को मॉनीटर करने, उनका पता लगाने और समूहबद्ध करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी सम्मिलित है।

******